झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025

—: विषय सूची :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा (3)(i) में संशोधन
3. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा (3)(ii) को विलोपित किया जाता है।
4. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा (3)(iii) में संशोधन
5. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा (4)(i) में संशोधन
6. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा (4)(ii) में संशोधन
7. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा (4)(iii) में संशोधन
8. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा (5) को विलोपित किया जाता है।
9. अध्याय —2 की धारा 5 को विलोपित किया जाता है।
10. अध्याय —2 की धारा 7 की उपधारा (1) में संशोधन
11. अध्याय —2 की धारा 4 की उपधारा 8(3)(झ) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025

पर्यटन विकास प्राधिकारों के क्रियान्वयन में सरलता, त्वरित कार्य संचालन एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधिकार के स्वरूप में बदलाव हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025 अधिनियमित हो।

झारखण्ड विधानसभा द्वारा भारत के गणराज्य के छिहतरवे वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –

(क) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।

(ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा।

(ग) यह राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (3)(i) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (3)(i) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :– "प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेश्क एवं एक सदस्य सचिव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नामित किए जायेंगे।"

3. अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (3)(ii) को विलोपित किया जाता है।

4. अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (3)(iii) में संशोधन।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (3)(iii) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :–

"संबंधित जिले के उपायुक्त प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।" अगर किसी प्राधिकार के अन्तर्गत दो जिलों के क्षेत्र आएँगे तो क्षेत्रफल व सुगमता के आधार पर किसी एक जिले के उपायुक्त को अध्यक्ष व इसी प्रकार अन्य सस्दयों को विभाग द्वारा नामित किया जाएगा।

5. **अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (4)(i) में संशोधन**

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (4)(i) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :–
"संबंधित जिले का उप विकास आयुक्त या जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया पदाधिकारी प्राधिकार का प्रबंध निदेशक होगा। प्रबंध निदेशक प्राधिकार का उपाध्यक्ष भी होगा तथा इससे संबंधित समस्त कार्यों का निर्वाहन करेगा।"

6. **अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (4)(ii) में संशोधन**

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (4)(ii) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :–

"प्राधिकार के सदस्य सचिव के रूप में जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के (मूल कोटि) के पद से अन्युन स्तर के पदाधिकारी को नामित किया जायेगा।"

7. **अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (4)(iii) में संशोधन**

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (4)(iii) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :–

"प्राधिकार के सदस्य सचिव अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा"

(क) वह प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा;

(ख) वह प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चो को पूरा करने के लिए धन निकालेगा;

(ग) वह प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित करेगा;

8. **अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा (5) को विलोपित किया जाता है।**

9. **अध्याय –2 की धारा 5 को विलोपित किया जाता है।**

10. **अध्याय –2 की धारा 7 की उपधारा (1) में संशोधन**

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय –2 की धारा 7 की उपधारा (1) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :–

"प्राधिकार की साधारण बैठक, प्रतिमाह अध्यक्ष द्वारा नियम तिथि, समय और स्थान पर होगी।"

11. **अध्याय–2 की धारा 4 की उपधारा–8 (3)(झ) में संशोधन**

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय –2 की धारा 4 की उपधारा 8(3)(झ) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :–

"को अपने क्षेत्र की सड़को, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पति पर हुए अतिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 अध्याय 17 25, 26, 27, 37 एवं धारा 606(2) में यथा निविर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियाँ होंगी।"

12. झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 की शेष धाराएँ यथावत् रहेगी।

उद्देश्य एवं हेतु

माननीय मंत्री, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2025 को पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णयानुसार झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम, 2015 की कतिपय प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने हेतु पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम, 2015 की अध्याय–2 की धारा–4, 5 एवं 7 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की क्रियान्वयन में सहुलियत हो एवं प्रशासनिक समास्याओं का निराकरण हो सके।

उक्त संशोधन का झारखण्ड राज्य अन्तर्गत पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा श्रेणी – 'A' में अधिसूचित पर्यटक स्थलों के पर्यटकीय विकास एवं स्थानीय स्तर पर इसके समुचित देख–रेख एवं प्रबंधन हेतु आवश्यक हैं। वर्त्तमान में विभागीय सचिव को झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम, 2015 की अध्याय–2 की धारा–4 की उपधारा–(3) (iii) के तहत पर्यटन विकास प्राधिकार का अध्यक्ष नामित किया गया है। विभागीय सचिव के पास कार्य की अधिकता एवं समयाभाव के कारण प्राधिकारों के संचालन एवं प्रबंधन में कठिनाई को देखते हुए इसे स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त को अध्यक्ष के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, पर्यटन विकास प्राधिकार की संरचना को भी छोटा करने की नितांत आवश्यकता है, जिस कारण अधिनियम की अध्याय–2 की धारा–4 की उपधारा (5) को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

एतदर्थ झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम, 2015 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है।

(सुदिव्य कुमार)
भार–साधक सदस्य